न्यायालय समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, पटना।

ई0सी0 वाद सं0–07/2015–16

राज्य **बनाम** शैलेन्द्र कुमार

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

आदेश

प्रस्तुत वाद अपर जिला दण्डाधिकारी, आपूर्ति, पटना के पत्र सं0 780(आ0) दिनांक 16.04.2015 के साथ अनुमण्डल पदाधिकारी, मसौढ़ी के पत्र सं0 134 दिनांक 11.04.2015, धनरूआ थाना कांड सं0 217/14 से दर्ज प्राथमिकी की छाया–प्रति एवं जप्ती–सूची प्राप्त हुआ।

अपर जिला दण्डाधिकारी, आपूर्ति, पटना के उक्त पत्र द्वारा प्रश्नगत कांड में जप्त समाग्रियों पर आवश्यक वस्तु अधिनियम–1955 की धारा–6ए के अंतर्गत कार्रवाई करने हेतु अनुशंसा किया गया है। जिसके आलोक में दिनांक 13.05.2015 को वाद प्रारम्भ किया गया। प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में श्री शैलेन्द्र कुमार, पिता श्री जरूरत प्रसाद, ग्राम–कोठिया, थाना–धनरूआ मसौढ़ी, पटना के द्वारा घरेलू इंडेन गैस सिलेण्डरों को व्यवसायिक के रूप में मिठाई की दुकान में अवैध रूप से उपयोग करने के आरोपी बनाया गया। आरोपी पर नोटिस निर्गत करते हुए, उन्हें अपना पक्ष साक्ष्य सहित दिनांक 07.07.2015 को न्यायालय में रखने का निदेश दिया गया। विपक्षी के द्वारा दिनांक 15.06.2015 को नोटिस निर्गत प्राप्त किया गया। दिनांक 07.07.2015 को विपक्षी की ओर से वकालतनामा सहित हाजरी दाखिल किया गया। दिनांक 11.08.2016 को विपक्षी (आरोपी) द्वारा प्रत्युत्तर दाखिल किया। आरोपी (विपक्षी) ने अपने प्रत्युत्तर में लिखा है कि मिठाई दुकान में पाया गया दोनों घरेलू गैस सिलेण्डर गांव के पड़ोसी का था। जो छापामारी के एक दिन पूर्व मिठाई के दुकान में रखा था। साक्ष्य के रूप में दोनों व्यक्तियों के गैस आपूर्ति करने वाला बुक की छाया प्रति संलग्न किया है।

अभिलेख पर उपलब्ध कागजात को परिशीलन किया एवं विशेष लोक अभियोजक को सुना। विशेष लोक अभियोजक का कहना है कि आरोपी का यह कहना कि घरेलू गैस सिलेण्डरों को मिठाई की दुकान में उपयोग (व्यवसाय के रूप) में नहीं किया जा रहा था, गलत है। यह "The Liquified

Petroleum Gas (Regulation of Supply and Distribution) Order-2000" के प्रावधानों का खुला उल्लघंन है। घरेलू गैस सिलेण्डर की आपूर्ति घरेलू उपयोग के लिए दिया जाता है न कि व्यवसायिक उपयोग के लिए।

अतः विपक्षी का दावा अस्वीकृत करते हुए अनुमंडल पदाधिकारी, मसौढ़ी को आदेश दिया जाता है कि धनरूआ थाना कांड सं0 217/14 में जप्त गैस सिलेण्डरों के गैस को गैस कम्पनी से बिक्री कराकर, खाली गैस सिलेण्डर को सम्बन्धित कम्पनी को हस्तगत करा दें तथा बिक्री से प्राप्त पूर्ण राशि को सरकारी खजाने में कोषागार चालान से जमा कराकर, चालान की मूल प्रति को अपने कार्यालय के अभिलेख में, संधारित कराकर, उक्त चालान की एक छाया–प्रति को, स्व0 अभिप्रमाणित कर, न्यायालय में अवश्य ही भेज देगें।

लेखापित एवं संशोधित।

16/2/18

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
पटना।

16/2/18

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
पटना।